

सख्या 974-E/Welfare/Covid-19/जव

दिनांक 05.06.2021


सभी अधिकारीगण,  
जगाधरी वर्कशाप ।सहायक निर्माण प्रबन्धक,  
कालका वर्कशाप ।विषय - भारत सरकार के अधीन कार्यालयों में कोरोना वायरस (Covid-19) को फैलने से रोकने  
एव उपस्थिति के संबंध में दिशा निर्देश ।

संदर्भ - i. DOPT F No 11013/9/2014 Estt A III dated 6 5 2021 &amp; 28 5 2021

ii. रेलवे बोर्ड पत्र सं० E(G)2021/CL-4/3 dated 05 05 2021, 10 05 2021, &  
02 06 2021

iii. इस कार्यालय के समसख्यक पत्र दिनांक 22 04 2021, 27 04 21 &amp; 03 05 2021

----

इस कार्यालय द्वारा जारी समसख्यक पत्र दिनांक 22 04 2021 & 03 05 2021 के निरन्तर में रेलवे  
बोर्ड पत्र सं० E(G)2021/CL-4/3 dated 05 05 2021, 10 05 2021 & 02 06 2021 द्वारा  
जारी निर्देशानुसार दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाने में छुट दी जा  
सकती है। अतः वह अपना कार्य घर से ही करना जारी रखेंगे।इस अवधि के दौरान कर्मचारी को अपना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी तथा कर्मचारी  
अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या टेलीफोन इत्यादि से अपने कार्यालय से सम्पर्क बनाये रखेंगे। इसके  
अतिरिक्त आवश्यकता पडने पर इन्हें कार्यालय में कार्य हेतु कभी भी बुलाया जा सकता है।यह व्यवस्था दिनांक 15.06.2021 तक अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, तक प्रभावी  
रहेगे।


कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक  
उ० र०, जगाधरी वर्कशाप।

प्रतिलिपि - सूचना एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सभी वरि० खण्ड अभि० एव सभी मुख्य कार्यालय अधि० जगाधरी एव कालका वर्कशाप
2. सचिव एनआरएमयू (यात्रिक एव विद्युत शाखा) - जगाधरी एव कालका वर्कशाप ।
3. सचिव यूआरएमयू (यात्रिक एव सामान्य शाखा) - जगाधरी एव कालका वर्कशाप ।
4. सचिव एससी/एसटी एव आबीसी एसोसियेशन - जगाधरी एव कालका वर्कशाप ।
5. रेलवे सुरक्षाबल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल, जगाधरी वर्कशाप ।